भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 903

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

इजरायल में भारतीय श्रमिक

903. **श्री सुदामा प्रसादः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उन श्रमिकों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिन्हें सरकार द्वारा मध्यस्थ के रूप में इजरायल भेजा गया था तथा जो वादा किए गए कार्य की प्रकृति तथा संघर्ष के कारण वापस आना चाहते हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इजरायल से इन श्रमिकों को वापस लोने के लिए कोई कदम उठाए हैं जो वापस आना चाहते हैं; और

(घ) क्या सरकार ने ठेकेदारों के विरुद्ध श्रमिकों को सुनिश्चित किए गए कार्य पर नहीं रखने के लिए प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) से (ग) सरकार को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, द्विपक्षीय करार और निजी चैनलों, दोनों के अंतर्गत इजरायल पहुंचे लगभग 12,000 कामगारों में से लगभग 220 भारतीय कामगार मुख्य रूप से कौशल असंगतता असंतुलन और भाषाई बाधाओं के कारण भारत लौट आए हैं।

(घ) कुछ कामगारों ने अपनी शिकायतें रखी थीं कि उन्हें वह नौकरी नहीं दी गई जिसका आश्वासन उन्हें दिया गया था। इसे इजराइल संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया, जिन्होंने इस मामले को सुलझा लिया है।

*****